



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

अल्पकालिन विज्ञप्ति

डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में, शैक्षिक कार्य हेतु अर्थशास्त्र विभाग एवं कृषि विज्ञान/एग्रीकल्चर (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) में रिक्त पद पर, छात्र हित में शिक्षण कार्य के सुचारु संचालन हेतु विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 हेतु रिक्त शैक्षिक पद में आन्तरिक व्यवस्था के अन्तर्गत गैस्ट फ़ैकल्टी (अतिथि व्याख्याता) के रूप में दिनांक 31-12-2021 तक अथवा सम्बन्धित विभाग में नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) रू0 500/- प्रतिवादन अधिकतम रू0 25000/- (पच्चीस हजार मात्र) प्रति माह एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में विभाग की आय-व्यय के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक पर, नितान्त अस्थाई तौर पर नियुक्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्तराखण्ड शासन एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित सहायक प्राध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारक इच्छुक अभ्यर्थी साधे कागज में आवेदन पत्र (समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति सहित) वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के नाम रू0 1,000/- (एक हजार मात्र) सामान्य वर्ग हेतु एवं रू0 500/- (पाँच सौ मात्र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/विश्वविद्यालय रसीद नकद जमा के साथ आवेदन पत्र सहित निर्धारित तिथि को कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विभाग हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू दिनांक 19-07-2021 को एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कृषि विज्ञान/एग्रीकल्चर (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) का वॉक-इन-इन्टरव्यू दिनांक 20-07-2021 को स्वामी विवेकानन्द भवन (पूर्ववर्ती द हरमिटेज), कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में प्रातः 10:00 बजे से आयोजित किये जायेंगे।

| क्रम0 सं0 | विषय/विभाग | रिक्त पदों की संख्या | श्रेणी |
|-----------|-------------------------|--|--------|
| 1 | अर्थशास्त्र | 01 | 01 SC |
| 2 | कृषि विज्ञान/एग्रीकल्चर | 01 (Soil Science or Horticulture of Economics) | 01 UR |

नोट:- 1- कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसरों में सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिनकी आरक्षण स्थिति वर्तमान में कार्यरत स्थायी/संविदा/अतिथि व्याख्याता के आधार पर निर्धारित की गई है। भविष्य में नियमित पदों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पर आरक्षण स्थिति भिन्न हो सकती है। अतः पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में भविष्य में नियमित नियुक्ति की विज्ञप्ति में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। उक्त व्यवस्था नितान्त अस्थायी रूप से छात्र/छात्राओं के शिक्षण हित में अल्प समय के लिए की जा रही है। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है।

कुलसचिव